भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3489

(10 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

□ी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य

3489. श्री मनोज तिवारी:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुब्रत □ाठक:
श्री रवि किशन:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्□ा बारणे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री प्रता□राव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृ□ा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने □िछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेष रू□ से लॉक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (□ी.एम.जी.एस.वाई.) में निर्मित सड़कों का □ता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या डी.□ी.आर. तैयार करते समय □ी.एम.जी.एस.वाई. के तहत सभी प्रस्तावित सड़कों के लिए यातायात सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है; और
(ग) यदि हां, तो ऐसी सड़कों के लिए यातायात सर्वेक्षण करने के लिए अ□नाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (□ीएमजीएसवाई) के अंतर्गत □िछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष (05 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान निर्मित सड़कों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) □ीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (□ीआईयू) यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी कैंडिडेट सड़कों और करस□ोंडिंग प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) के संबंध में स्वतंत्र तृतीय □क्ष यातायात सर्वेक्षण किया जाए। यदि अनुमानित यातायात 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) या इससे कम होता है, तो विस्तृत □रियोजना रि□ोर्ट (डी□ीआर) तैयार करते समय 3 दिनों के यातायात की गणना की जाएगी और यदि अनुमानित यातायात 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) से अधिक होता है, तो विस्तृत □रियोजना रि□ोर्ट (डी□ीआर) तैयार करते समय 7 दिनों के यातायात की गणना की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। के दिशा-निर्देशों तथा मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)/राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए)/शासकीय अभियांत्रिकी संस्थानों अथवा स्वतंत्र तृतीय □क्ष एजेंसियों/□रामर्शदाताओं के माध्यम से उन सभी प्रस्तावित सड़कों के लिए एक्सल लोड सर्वेक्षण सहित स्वतंत्र तृतीय □क्ष यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा जिनमें अनुमानित यातायात 1 एमएसए से अधिक है भले ही उनके कैरिज-वे की चौड़ाई IRC:SP:72:2015 में निर्धारित चौड़ाई से भिन्न हो। 1 एमएसए से अधिक एमएसए वाली सड़कों के संबंध में स्वतंत्र तृतीय □क्ष यातायात सर्वेक्षण स्वचालित यातायात काउंटर तथा क्लासिफायर (एटीसीसी) लगाकर किया जाना होता है।

*****

लोक सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (05.08.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (05.08.2021 की स्थिति के अनुसार)	
		सड़क कार्यों की सं.	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	सड़क कार्यों की सं.	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	सड़क कार्यों की सं.	सड़क कीलंबाई (कि.मी.)	सड़क कार्यों की सं.	सड़क की लंबाई (कि.मी.)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	12	30.62	11	9.97
2	आंध्र प्रदेश	41	336.73	101	300.52	61	530.79	31	456.13
3	अरुणाचल प्रदेश	91	1,317.64	46	1,731.34	25	1,795.50	44	68.9
4	असम	676	4,295.49	1,288	3,646.74	786	2,682.17	198	64.14
5	बिहार	1,679	3,307.59	852	718.58	586	2,255.01	173	529.16
6	छत्तीसगढ़	216	3,112.36	430	1,952.38	296	4,685.51	119	561.75
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	8	14.39	0	0	3	201.76	3	58.56
9	हरियाणा	1	4.95	0	0	0	224.06	16	407.47
10	हिमाचल प्रदेश	138	1,334.35	219	1,086.81	274	1,915.57	120	889.69
11	जम्मू और कश्मीर	202	1,559.10	181	1,174.94	243	3,166.76	128	370.78
12	झारखंड	747	3,570.42	906	1,407.78	470	2,008.23	199	254.79
13	कर्नाटक	3	6.36	1	6	4	565.91	35	587.65
14	केरल	104	314.47	63	125.85	21	76.78	7	14.81
15	मध्य प्रदेश	859	4,520.54	694	1,872.30	278	2,955.48	84	1,446.38
16	महाराष्ट्र	80	266.83	33	120.49	33	180.5	0	23.5
17	मणिपुर	94	852.24	109	754.34	95	892.62	9	48.49
18	मेघालय	32	211.42	50	273.95	77	728.25	61	271.39
19	मिजोरम	4	266.59	12	344.55	4	246.29	8	122.71
20	नागालैंड	7	208.99	4	188.7	6	35.8	3	60.07
21	ओडिशा	1,410	8,129.88	1,706	5,298.43	1,050	1,844.27	234	197.63
22	पुदुचेरी	--	--	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	62	246.78	15	28.98	1	1.09	0	18.5
24	राजस्थान	279	2,528.27	201	103.39	13	1,855.66	101	923.99
25	सिक्किम	47	351.92	36	68.22	27	156.96	12	21.59
26	तमिलनाडु	458	2,166.86	530	1,065.92	378	871.27	116	446.84
27	त्रिपुरा	58	169.09	21	85.2	27	108.8	6	41.17
28	उत्तर प्रदेश	435	1,688.27	55	376.08	93	710.72	5	120.07
29	उत्तराखंड	130	1,756.27	151	2,036.49	204	3,364.68	110	119.91
30	पश्चिम बंगाल	649	5,111.22	835	2,180.04	472	2,178.96	115	146.89
31	तेलंगाना	66	381.2	124	205.84	36	320.39	7	289.86
32	लद्दाख	10	63.09	15	150.73	5	86.23	2	14.81
कुल		**8,586**	**48,093.29**	**8,678**	**27,304.59**	**5,580**	**36,676.64**	**1,957**	**8,587.56**